THE INDIAN ARMY
95th SHORT SERVICE COMMISSION WOMEN IN
REMOUNT VETERINARY CORPS

Applications are invited from qualified married/unmarried female veterinary graduates for Short Service Commission (SSC) in Remount Veterinary Corps of Indian Army as per the terms and conditions described below:-

1. **ELIGIBILITY CONDITIONS**

1.1. **Age Limit**. 21-32 years as on the last date of submission of application.

Note : BVSc/BVSc & AH degree graduates, granted SSC in RVC will be considered for grant of permanent commission, only if they are below 30 years of age on the date of grant of SSC and if they qualify in the departmental permanent commission (PC) Test as per extant rules and policies. Likewise, MVSc and Doctorate degree holders will be considered for grant of permanent commission with age relaxation as per extant rules commensurate to the ante date seniority granted to them.

1.2. **Minimum Educational Qualification.** A candidate must possess BVSc/BVSc & AH degree from any of the recognized Indian university or its equivalent foreign degree (i.e. the candidate must possess recognized veterinary qualification included in the first or second schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984).

1.3. *Nationality–* "A candidate must either be :

1.3.1. a citizen of India, or
1.3.2. a subject of Nepal, or
1.3.3. a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyka and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire, and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories 1.3.2, 1.3.3 above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subject of Nepal. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary will attach such certificate alongwith the application".

NOTE: CANDIDATE SHOULD HAVE PASSED THE QUALIFYING EXAMINATION WITH INTERNSHIP AT THE TIME OF SUBMISSION OF APPLICATION. CANDIDATES WHO ARE NOT IN POSSESSION OF MARK SHEETS OF ALL YEARS/PART/SEMESTERS (INCLUDING FINAL/PART/SEMESTER) OF QUALIFYING EXAMINATION AND INTERNSHIP COMPLETION CERTIFICATE NEED NOT APPLY)

Directorate General RVS, QMG's Branch
Integrated HQ of MoD (Army)

2. **VACANCIES :** 02

3. **METHOD OF SELECTION**

3.1. **Initial screening.** Initial screening of applications will be done at Directorate General Remount Veterinary Services, Integrated HQ of MoD (Army) to check eligibility and correctness of documents before forwarding them to Dte Gen Recruiting of IHQ of MoD (Army). Integrated HQ of MoD (Army) reserves the right to shortlist applications based on the vacancy to call up ratio without assigning any reason. The cut off will be applied on the cumulative percentage of marks obtained by the candidates upto the final semester/year in BVSc/BVSc & AH. Candidates will be shortlisted based on their eligibility criteria and in a vacancy to call up ratio.

3.2. **SSB Interview.** Candidates whose applications are found in order shall be detailed to appear for the Services Selection Board on a specified date. Detailed instructions alongwith date and place of SSB will be intimated directly by Dte Gen Recruiting, IHQ of MoD(Army).

3.3. **Merit list**. Merit list of the candidates recommended by the SSB and declared medically fit will be prepared. It is to be noted that mere qualifying at the SSB interview does not confirm final selection. Merit list will be prepared on the basis of marks obtained by the candidate at SSBs only and as such higher educational qualifications, previous achievements have no role to play.

4. **Medical Examination:** Candidates recommended by Service Selection Board will undergo medical examination by a medical board of Doctors/Specialists/Gynecologists. However, there will be a Lady Medical Officer as member of the Special Medical Board (SMB) in respect of female candidates. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, candidates declared unfit by the SMB will be intimated by the president of the Medical Board. The procedure for request for Appeal Medical Board (AMB) will also be intimated to the candidates. Unfit candidates should report for AMB within a maximum period of 42 days. Candidates are advised in their own interest to appear for AMB well in time and should not wait for the last date given by the SMB. Candidates declared unfit by AMB will be intimated by the President, AMB about procedure of challenging the finding of AMB. Review Medical Board (RMB) is granted at the discretion of Director General Armed Forces Medical Services based on the merits of the case and that RMB is not a matter of right. Candidates will be considered medically fit only on receipt of the approved medical documents from Directorate General Medical Services. **Pregnancy, in case of female candidates if detected at any stage, after selection at SSB or during training will debar the candidates including issue less married/widow/divorcee from grant of commission.**

5. **TRAINING, TERMS AND CONDITIONS FOR SERVICE**

5.1. **Grant of Commission.** Candidate will be commissioned in the rank of **Captain**.

5.2. **Training.** Selected candidates will be detailed on post commission training at RVC Centre & College, Meerut Cantt.

Directorate General RVS, Integrated HQ of MoD (Army)

5.3. **Ante-date Seniority**. 12 months/24 months ante-date seniority will be granted to candidates holding post graduate/doctorate degree respectively in any discipline of veterinary science from a recognized university, recognized by VCI in India/abroad, prior to their commissioning in the Remount Veterinary Corps. **The candidates must hold MVSc/PhD degree (Valid PDC/Degree certificate) on the date of commissioning for availing ante date seniority.**

5.4. **Suitability for Retention of Commission**. If an officer is found unsuitable within one year of the grant of commission, the officer's commission may be terminated at any time before the contractual period of service for five years.

5.5. **Promotion**. Promotion up to the rank of Lt Col while in SSC and thereafter, if granted PC, upto Colonel (TS) is time bound.

5.6. **Tenure of Engagement**. All officers granted commission would serve the Indian Army for a period of five years from the date of conferment of commission subject to fulfillment of other conditions. This period of five years may further be extended by two spells of five years and four years subject to their performance.

5.7. **Pay, Allowances and Other Benefits.** Officers, on commissioning in the rank of Captain are entitled to pay matrix of level 10(B) Rs. 61,300/-, Military Service Pay of Rs. 15,500/-, Non-Practice Allowance (NPA) @20% of basic pay and Dearness Allowance (DA) as admissible, at rates applicable from time to time. Additional benefits like concessional accommodation, free ration/ration money for self only, free medical facilities for self and family, LTC, 60 days annual leave and 20 days casual leave, canteen facilities and group insurance cover are also admissible.

6. **HOW TO APPLY**

6.1. Applications will only be accepted online on website **www.joinindianarmy.nic.in** Click on **'Officers Entry Apply/Login'** and then click **'Registration'** (Registration is not required, if already registered on **www.joinindianarmy.nic.in**). Fill the online registration form after reading the instructions carefully. After getting registered, click on **'Apply Online'** under Dashboard. A page 'Officers Selection – **'Eligibility'** will open. Then click **'Apply'** shown against Short Service Commission RVC (Women). A page **'Application Form'** will open. Read the instructions carefully and click **'Continue'** to fill details as required under various segments – Personal information, Communication details, Education details and details of previous SSB. **'Save & Continue'** each time before you go to the next segment. After filling details on the last segment, you will move to a page **'Summary of your information'** wherein you can check and edit the entries already made. Only after ascertaining the correctness of all your details, click on

महानिदेशालय आर वी एस क्यू एम जी, शाखा
Directorate General RVS, QMG Br
Integrated HQ of MoD (Army)
रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना)

'Submit'. Candidates must click on 'Submit' each time they open the application for editing any details. The candidates are required to take out two copies of their application having Roll Number, 30 minutes after final closure of online application on last day.

Note 1. No changes to details submitted in online application can be made after closure of application. No representation in this regard shall be entertained.

Note 2. CGPA/ Grades must be converted into Marks as per the formulae adopted by the concerned University for filling 'Marks obtained in Graduation' in online application. Any discrepancy observed at any stage of selection process will lead to cancellation of candidature.

Note 3. Candidate's name/ Parent's name (Father & Mother)/ Date of Birth in the profile and online application must be as per Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or Equivalent certificate issued by the concerned Board of Education. Variation in above details will lead to cancellation of the candidature.

7. **LAST DATE FOR SUBMISSION OF APPLICATION**

Online Application will open on 15 Apr 2026 at 1500 hr and will be closed on 15 May 2026 at 1500 hr .

8. **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

8.1. **Self Attested** copy of following documents alongwith their **originals** are to be carried to the Selection Centre by the candidates:-

8.1.1. One copy of the Print out of application duly signed and affixed with self attested photograph.

8.1.2. Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate and Marksheet issued by the Concerned Board of Education.

Note 1. Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate issued by the Concerned Board of Education will only be accepted as proof of Date of Birth, Candidate's name and Parent's name (Father & Mother) (No other document like Admit Card/ Marksheet/ Transfer Certificate etc, are acceptable).

Note 2. In case Parent's name (Father & Mother) is not mentioned in Matriculation/ Secondary School Examination Certificate or equivalent certificate, the candidate is required to produce any document issued by Govt of India or States Govt such as Birth Certificate, PAN Card, Aadhar Card, Passport, Driving licence etc. for verification. However, Candidate's name and their Parent's name filled in online application must match exactly with those mentioned in the produced document.

महानिदेशालय आर वी एस क्यू एम जी शाखा
Directorate General RVS, QMG Br
क्यू एम जी आर वी-1
QMG RV-1
Pin-900 08
Integrated HQ of MoD (Army)
रक्षा मंत्रालय (सेना)

8.1.3. 12th class marksheet and certificate or Equivalent certificate.

8.1.4. Original/provisional BVSc/BVSc & AH degree.

8.1.5. Marksheets of all semesters/years.

8.1.6. MVSc and PhD degree certificate (as applicable) along with mark sheet.

8.1.7. Internship completion certificate.

8.1.8. Candidates who are not in possession of original/provisional Degree BVSc/BVSc&AH/MVSc and PhD must attach a certificate from the Principal/Dean of the college stating that the candidate has completed his graduation/post-graduation/doctorate and is eligible for the award of said degree.

8.1.9. Candidates already in service should apply through proper channel and obtain NOC from the employer.

8.1.10. The terms and conditions given in this advertisement are subject to change and should, therefore be treated as guidelines only.

8.1.11. Candidates (unmarried/widow/divorcee) will neither be allowed to marry/re-marry during the period of training nor will be allowed to live with parents/Guardians. Candidates must not marry until they complete the full training at RVC Centre & College, Meerut Cantt.

8.1.12. Candidates are required to carry documents related to civil verification.

8.2. **Any candidate who does not carry the above documents for the SSB interview, his candidature will be cancelled and he will be returned.**

8.3. **All certificates in original to be carried by the candidates for SSB interview for verification**. Originals will be returned after verification at the Service Selection Board itself.

8.4. The second copy of the printout of online application is to be retained by the candidate for reference. **There is no need to send any hard copy to Dte Gen RVS.**

8.5. **Candidates must submit only one online application. Receipt of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of candidature, and NO representation will be entertained in this regard.**

8.6. **Change of Interview Date/ Centre. Request for change of SSB Interview Date/ Center will NOT be entertained or replied.**

Note 1. Any ambiguity/ false information/ concealment of information detected in the certificates / documents/ online application will result in cancellation of the candidature at any stage of selection and thereafter.

Note 2. The candidate should have never been arrested or convicted by a criminal court. **In case any such issue comes to notice during the selection process or training, candidate will be subject to cancellation of candidature.**

Note 3. For all queries regarding Allotment of Centres, Date of Interview, Merit list, Joining Instructions and any other relevant information, please visit our website www.joinindianarmy.nic.in. **Queries will be replied through 'Feedback/ Query' option available on the website.**

Note 4. Please read the Notification, Tickers on website, Joining Instructions, frequently asked questions (FAQs) and other instructions uploaded on the website thoroughly before submission of queries in 'Feedback/Query' on our website.

Note 5. **In order to avoid last hour rush and ensure timely response, queries received upto 03 days prior to closing of online application will ONLY be entertained/ replied.**

Note 6. **This notification is published in Hindi and English language versions. Both versions will be of equal effect provided that the English version will prevail in the event of any discrepancy between the two language versions.**

8.7. Final allocation of vacancies may change at discretion of IHQ of MoD (Army) as per requirement.

8.8. Registration with Veterinary Council of India/State Veterinary Council is mandatory for selected candidates prior to commencement of trg.

8.9. Queries, if any, may be submitted to Dte Gen RVS, IHQ of MoD (Army), West Block-3, RK Puram, New Delhi-110066 OR through E-mail ID: persvet-1779@nic.in.

भारतीय सेना
रिमाउंट वेटनरी (पशु चिकित्सा) कोर में
95 वां अल्प सेवा कमीशन महिला

भारतीय सेना की रिमाउंट पशुचिकित्सा कोर में अल्प सेवा कमीशन (एस एस सी) के लिए विवाहित/अविवाहित महिला पशुचिकित्सा स्नातकों से निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

1. **अर्हता शर्तें:**

1.1. **आयु सीमा** : आवेदन जमा किए जाने की अंतिम तारीख को 21-32 वर्ष।

नोट: आरवीसी में एसएससी प्रदान किए गए बीवीएससी/ बीवीएससी एंड ए एच डिग्री प्राप्त स्नातकों को स्थायी कमीशन के लिए तभी विचार किया जाएगा यदि एस एस सी प्रदान किए जाने की तारीख को उनकी उम्र 30 वर्ष से कम हो और वे मौजूदा नियमों और नीतियों के अनुसार स्थायी कमीशन (पी सी) हेतु विभागीय परीक्षा में सफल होते हैं। उसी तरह, एमवीएससी और डॉक्टरेट डिग्री को मौजूदा नियमानुसार उन्हें प्राप्त पूर्व दिनांकित वरिष्ठता के अनुरुप उम्र सीमा में छूट सहित स्थायी कमीशन दिए जाने के लिए विचार किया जाएगा।

1.2. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता** - अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान/पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशु-पालन विषय में डिग्री अथवा इसके समकक्ष कोई विदेशी डिग्री होनी चाहिए (अर्थात अभ्यर्थी ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची में शामिल मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा योग्यता हासिल की हो)।

1.3. **राष्ट्रीयता** - अभ्यर्थी अनिवार्य रुप से :

1.3.1. भारत का नागरिक अथवा
1.3.2. नेपाल की प्रजा अथवा
1.3.3. भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने भारत में स्थायी रुप से बसने की नियत से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका अथवा पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगांडा एवं संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंजा निका एवं जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे एवं इथियोपिया और वियतनाम से आए हों।

बशर्ते उपर्युक्त खंड 1.3.2 और 1.3.3 के तहत आने वाले वे अभ्यर्थी हों जिनके लिए भारत सरकार द्वारा योग्यता पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया है ।

हालांकि, नेपाल की गोरखा प्रजा के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जरुरी नहीं होगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके लिए योग्यता प्रमाण पत्र जरुरी है, अपने आवेदन के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

नोट: अभ्यर्थी को आवेदन जमा करते समय इंटर्नशिप सहित अर्हता परीक्षा पास होना चाहिए। जिनके पास अर्हता परीक्षा के सभी वर्षों /भागों/सेमेस्टरों (अंतिम/अंशकालिक/ सेमेस्टर सहित) के अंक पत्रक और इंटर्नशिप पूरा करने के प्रमाणपत्र नहीं हैं, वे अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के पात्र नही हैं।

महानिदेशालय आर वी एस क्यू एम जी शाखा
Directorate General RVS, QMG Br
क्यू/आर वी-1
QMG/RV-1
Pin-900 08
Integrated HQ of MoD (Army)
रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना)

2. **रिक्तियां** : - 02

3. **चयन की विधि**

3.1. **प्रारंभिक स्क्रीनिंग** – आवेदन पत्रों को भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) को भेजने से पहले पात्रता एवं दस्तावेजों के सही होने के संबंध में रिमाउंट वेटनरी सेवा महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) में उनकी प्रारंभिक स्क्रीनिंग की जाएगी। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) रिक्तियों और बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों के अनुपात के आधार पर बिना कोई कारण बताए, आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कट -ऑफ उम्मीदवारों द्वारा बीवीएससी/ बीवीएससी एंड ए एच में अंतिम सेमेस्टर/वर्ष तक प्राप्त अंकों के संचयी प्रतिशत के आधार पर लागू किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनकी पात्रता मानदंडों और भर्ती निदेशालय द्वारा तय किए गए रिक्ति के सापेक्ष बुलाए जाने वाले अनुपात के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

3.2. **एसएसबी साक्षात्कार** – जिन आवेदकों के आवेदन छंटनी के बाद सही पाए गए हैं, उन्हें निर्दिष्ट तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा। एसएसबी का स्थान और तारीख संबंधी विस्तृत ब्यौरे अभ्यर्थियों को सीधे भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा भेज दिए जाएंगे।

3.3. **मेरिट लिस्ट** - एसएसबी द्वारा अनुशंसित और चिकित्सीय तौर पर फिट पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस बारे में यह साफ तौर पर बताया जाता है कि एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाने भर से किसी के अंतिम रुप से चयन की पुष्टि नहीं की जा सकती है। मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी द्वारा सिर्फ एसएसबी में मिले प्राप्तांक के आधार पर ही तैयार की जाएगी और इस प्रकार उच्च शैक्षणिक योग्यताओं एवं पूर्व की उपलब्धियाँ मायने नहीं रखती।

4. **मेडिकल जांच** -सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की पुरुष/महिला डॉक्टरों /विशेषज्ञों/स्त्री रोग विशेषज्ञों के मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल जांच की जाएगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में, स्पेशल मेडिकल बोर्ड (एसएसबी) में एक सदस्य महिला डॉक्टर अवश्य होगी। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाहियां गोपनीय होती हैं जिन्हें किसी को उजागर नही किया जाएगा। हालांकि, एस एसबी द्वारा अयोग्य करार दिए जा चुके अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (ए एम बी) से अनुरोध किए जाने की प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाएगा। अनफिट अभ्यर्थियों को अधिक से अधिक 42 दिनों के भीतर ए एम बी के समक्ष अपनी अपील दर्ज करानी होगी। इसलिए अभ्यर्थियों के हित में यह सलाह दी जाती हा कि वे समय रहते ए एम बी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि की प्रतिक्षा न करें। एएमबी द्वारा अनफिट करार दिए जा चुके अभ्यर्थियों को एएमबी के अध्यक्ष द्वारा एएमबी के निर्णय को चुनौती देने संबंधी प्रक्रिया से अवगत करा दिया जाएगा। मामले के गुणावगुण के आधार पर सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशक के स्वविवेक के आधार पर समीक्षा मेडिकल बोर्ड (आर एम बी) का गठन किया जा सकता है, हालांकि आरएमबी गठित किए जाने का अधिकार किसी अभ्यर्थी को नहीं है। अभ्यर्थियों को चिकित्सा सेवा महानिदेशालय से अनुमोदित मेडिकल दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही चिकित्सीय फिटनेस का पात्र माना जाएगा। महिला अभ्यर्थियों के मामले में , गर्भावस्था की जानकारी किसी भी स्तर पर हो, चाहे एसएसबी के चयन के बाद या प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी जिसमें नि:संतान/शादीशुदा/विधवा/तलाकशुदा शामिल है, को कमीशन प्रदान किए जाने से रोक दिया जाएगा।

5. **प्रशिक्षण, सेवा की शर्तें**

5.1. **कमीशन प्रदान किया जाना** – अभ्यर्थी को कैप्टन के रैंक में कमीशन प्रदान किया जाएगा।

5.2. **प्रशिक्षण** – चयनित अभ्यर्थियों से कमीशन उपरांत प्रशिक्षण हेतु आरवीसी सेंटर एवं कॉलेज, मेरठ छावनी में भेजा जाएगा।

महानिदेशालय आर वी एस क्यू एम जी, शाखा
Directorate General RVS, QMG Br
Integrated HQ of MoD (Army)

5.3. **पूर्व – दिनांकित वरिष्ठता** – रिमाउंट वेटनरी कोर में कमीशन प्रदान किए जाने से पहले भारत/विदेश में वीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुचिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट डिग्री धारक अभ्यर्थियों को क्रमश: 12/24 माह की **पूर्व दिनांकित वरिष्ठता प्रदान किए जाने की तारीख को अभ्यर्थियों के पास एमवीएस सी /पी एच डी डिग्री (मान्यता प्राप्त पीडीसी/डिग्री प्रमाण पत्र) अवश्य होनी चाहिए।**

5.4. **कमीशन कायम रखने की योग्यता**_: यदि किसी अफसर को कमीशन प्रदान किए जाने से एक साल के भीतर अयोग्य पाया जाता हा तो उसके कमीशन को पांच साल की संविदागत सेवा से पहले कभी भी समाप्त किया जा सकता है।

5.5. **पदोन्नति** – एसएससी के तहत लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक और उसके बाद यदि स्थायी कमीशन किया गया है तो कर्नल रैंक तक की समयबद्ध पदोन्नति मिलेगी।

5.6. **सेवा कार्यकाल-** कमीशन प्राप्त सभी अफसर, कमीशन प्रदान किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगें। बशर्ते वे अन्य शर्तें पूरी करते हों। उनकी पांच साल की सेवा को उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर अगले पांच और फिर चार साल की सेवावधि का विस्तार दो चरणों में दिया जा सकता है।

5.7. **वेतन, भत्ते और अन्य लाभ** – कैप्टन के रैंक में कमीशन प्राप्त होने पर अफसर 10(b) लेवल के पे मैट्रिक्स में 61,300 मूल वेतन, 15,500/- का मिलिट्री सर्विस वेतन, गैर प्रैक्टिस भत्ता (एन पी ए) जो मूल वेतन का 20% होगा और समय समय पर ग्राहय और महंगाई भत्ता का हकदार होगा। अन्य लाभों में, रियायती दर पर आवास, सिर्फ अपने लिए मुफ्त राशन/राशन भत्ता , अपने और परिवार के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, एलटीसी, 60 दिनों का वार्षिक अवकाश, 20 दिनों का आकस्मिक अवकाश, कैंटीन सुविधाएं और समूह बीमा कवर शामिल है।

6. **आवेदन कैसे करें**

6.1. आवेदन केवल वेबसाईट **www.joinindianarmy.nic.in** पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। **'Officers Entry Apply/Login'** पर क्लिक करें और फिर **'Registration'** पर क्लिक करें (यदि पहले से **www.joinindianarmy.nic.in** पर पंजीकृत हैं तो पंजीकरण आवश्यक नहीं हैं।) निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। पंजीकृत होने के बाद, डैशबोर्ड के तहत **'Apply Online'** पर क्लिक करें। एक पेज 'Officers Selection - **Eligibility**' खुलेगा। फिर **Short Service Commission RVC (Women)** के सामने दिखाए गए **'Apply'** पर क्लिक करें। एक पेज **'Application Form'** खुलेगा। निर्देशों को ध्यान से पढ़े और विभिन्न खंडों – व्यकितगत जानकारी, संचार विवरण और पिछले एसएसबी के विवरण के तहत आवश्यक विवरण भरने के लिए **'Continue'** पर क्लिक करें। अगले खंड पर जाने से पहले हर बार **'Save & Continue'** करें। अंतिम खंड पर विवरण भरने के बाद, आप एक पेज **'Summary of your information'** पर चलें जाएंगें, जहां आप पहले से की गई प्रविष्टियों की जांच और संपादन कर सकते हैं। अपने विवरण की सटीकता सुनिश्चित करने के बाद ही 'Submit' पर क्लिक करें। किसी भी विवरण को संपादित करने के लिए आवेदन खोलने पर उम्मीदवारों को हर बार 'Submit' पर क्लिक करना होगा। उम्मीदवारों को अंतिम दिन ऑनलाइन आवेदन के अंतिम समापन के 30 मिनट बाद अपना रोल नंबर वाला आवेदन पत्र की दो प्रतियां निकालने की आवश्यकता है।

Directorate General RVS, QMG Br
Integrated HQ of MoD (Army)

नोट 1 : आवेदन बंद होने के बाद ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए विवरण में कोई बदलाव नही किया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नही किया जाएगा।

नोट 2 : ऑनलाइन आवेदन में 'Marks obtained in Graduation' भरने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के अनुसार CGPA/ ग्रेड को अंकों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाई गई किसी भी विसंगति से उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

नोट 3 : प्रोफाइल और ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार का नाम /माता पिता का नाम (पिता और माता) /जन्मतिथि संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए मैट्रिकुलेशन /माध्यमिक विद्धयालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ही होने चाहिए। उपर्युक्त विवरणों मे कोई भी भिन्नता होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

7. **आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख**

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 को 1500 बजे प्रारंभ होगी तथा 15 मई 2026 को 1500 बजे समाप्त होगी।

8. **महत्वपूर्ण अनुदेश**

8.1. उम्मीदवारों को चयन केंद्र पर अपने मूल दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वयसत्यापित प्रति ले जानी होगी।

8.1.1. आवेदन के प्रिंटआउट की एक प्रति जिस पर स्वयसत्यापित फोटो लगा हो। और हस्ताक्षर किए गए हों।

8.1.2. मैट्रिकुलेशन सेकंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र और संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मार्कशीट ।

नोट 1 - जन्म तिथि, उम्मीदवार के नाम, और माता पिता के नाम (पिता और माता) के प्रमाण के रुप में केवल संबंधित शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक विद्धयालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। (प्रवेश पत्र, अंक पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि जैसा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार्य नही है।

नोट 2 - यदि माता पिता का नाम (पिता और माता), मैट्रिकुलेशन /माध्यमिक विद्धयालय परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लेखित नही है, तो उम्मीदवार को सत्यापन के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि ऑनलाइन आवेदन में भरा गया उम्मीदवार का नाम और उसके माता पिता का नाम प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में उल्लेखित नामों से पूरी तरह मेल खाना चाहिए।

8.1.3. 12 वीं कक्षा का अंकपत्र और प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र।

महानिदेशालय आर वी एस क्यू एम जी शाखा
Directorate General RVS, QMG Br
क्यू/आर वी-1
RV-1
PIN 900 06
Integrated HQ of MoD (Army)
रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना)

8.1.4. बीवीएससी/बीवी एस सी एंड ए एच की मूल/ अनंतिम डिग्री ।

8.1.5. सभी सेमेस्टर /वर्षो की मार्कशीट।

8.1.6. मार्कशीट सहित एमवीएससी और पीएचडी डिग्री प्रमाणपत्र (यथा लागू)।

8.1.7. इंटर्नशीप पूरा करने का प्रमाणपत्र|

8.1.8. वे अभ्यर्थी जिनके पास बीवीएससी/ बीवीएससी एंड ए एच/ एमवीएस सी और पीएचडी की मूल अनंतिम डिग्री नहीं हो को अपने कॉलेज के प्राचार्य /डीन से इस आशय का प्रमाणपत्र लाना होगा कि अभ्यर्थी ने अपना स्नातक /स्नातकोत्तर/डॉक्टरेट पूरा कर लिया है और यह उक्त डिग्री को प्राप्त करने का पात्र है।

8.1.9. पहले से सेवारत अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से आवेदन कर अपने नियोक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।

8.1.10. इस विज्ञापन में दी गई शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता हैऔर इसलिए इन्हें केवल , दिशानिर्देश के रूप में ही माना जाए।

8.1.11. (अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा) अभ्यर्थियों को न तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान विवाह/पुनर्विवाह करने, न ही अपने माता पिता /अभिभावक के साथ रहने की इजाजत होगी । अभ्यर्थी तब तक विवाह नहीं करेगा जब तक की आर वी सी सेंटर एवं कॉलेज , मेरठ छावनी में वह अपना प्रशिक्षण पूरा न कर ले।

8.1.12. उम्मीदवारों को नागरिक सत्यापन से संबंधित दस्तावेज साथ ले जाना आवश्यक है।

8.2. कोई भी उम्मीदवार जो एसएसबी साक्षात्कार के लिए उपरोक्त दस्तावेज नहीं ले जाएगा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे वापस भेज दिया जाएगा।

8.3. सत्यापन के लिए एसएसबी साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों द्वारा सभी मूल प्रमाण पत्र ले जाने होंगे। मूल दस्तावेज सेवा चयन बोर्ड में ही सत्यापन के बाद वापस कर दिए जाएंगे।

8.4. ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की दूसरी प्रति उम्मीदवार को संदर्भ के लिए अपने पास सुरक्षित रखनी हैं। डीजी रिमाउंट वेटनरी सेवा को कोई भी हार्ड कापी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

8.5. उम्मीदवारों को केवल एक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। एक ही उम्मीदवार से कई आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और इस संबंध में किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नही किया , जाएगा।

8.6. **साक्षात्कार की तिथि/केंद्र में परिवर्तन** – एक बार जब उम्मीदवार द्वारा एसएसबी की तिथि चुन ली जाती है तो एसएसबी साक्षात्कार की तिथि /केंद्र में बदलाव के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नही किया जाएगा और न ही उसका जवाब दिया जाएगा।

नोट 1. प्रमाण पत्रों /दस्तावेजों /ऑनलाइन आवेदन में पाई गई किसी भी अस्पष्टता/झूठी जानकारी/ जानकारी को छिपाने के परिणामस्वरुप चयन के किसी भी चरण में और उसके बाद उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

नोट 2. उम्मीदवार को किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा न तो गिरफ्तार किया गया हो और न ही दोषी ठहराया गया हो, या वह किसी भी मामले में शामिल न रहा हो। यदि चयन प्रक्रिया या प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कोई भी मुद्दा ध्यान में आता है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

महानिदेशालय आर वी एस, क्यू एम जी. शाखा Directorate General RVS, QMG Br
रक्षा मंत्रालय एकीकृत मुख्यालय (सेना) Integrated HQ of MoD (Army)

नोट 3. केंद्रों के आवंटन, साक्षात्कार की तिथि, मेरिट सूची, शामिल होने के निर्देशों और किसी भी अन्य प्रासंगिक जानकारी से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए, कृपया हमारी वेबसाईट www.joininidianarmy.nic.in पर जाएं। प्रश्नों का उत्तर वेबसाईट पर उपलब्ध 'Feedback/ Query' विकल्प के माध्यम से दिया जाएगा।

नोट 4. कृपया हमारी वेबसाईट पर फीडबैक/प्रश्न में प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले अधिसूचना, वेबसाईट पर टिकर, ज्वाइनिंग निर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और वेबसाइट पर अपलोड किए गए अन्य निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें।

नोट 5. अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने और समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन बंद होने से 3 दिन पहले तक प्राप्त प्रश्नों पर ही विचार किया जाएगा/ उत्तर दिया जाएगा।

नोट 6. यह अधिसूचना हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की गई है। दोनो संस्करण समान रुप से प्रभावी होंगे, बशर्ते कि दोनो भाषाओं के संस्करणों मे किसी भी प्रकार की विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

8.7. रिक्तियों के अंतिम आवंटन में आवश्यकतानुसार एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना) के विवेकानुसार बदलाव हो सकता है।

8.8. प्रशिक्षण शुरु होने से पहले चयनित अभ्यर्थियों के लिए वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया / स्टेट वेटनरी काउंसिल में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

8.9. यदि कोई प्रश्न हो तो उसे/ उन्हें ई मेल आई डी : persvet-1779@nic.in के जरिए अथवा आर वी एस महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय, (सेना), वेस्ट ब्लॉक -3, आर के पुरम , नई दिल्ली -110066 से पत्राचार कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।